

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुकम की तारीख
में जारी हुए

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, करोली
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) नारायणा

अधिकारी - राजेंद्र कुमार जोगल RAS

उनवान

बनाम

शमरज

लैंड होल्डर तहसीलदार मासलपुर

त इन्द्राज कुस्ली घारा 88 R.G. स.स.

नम्बर :-

नांक :- 18/5/2017

वादी की ओर से इन्द्राज कुस्ली की व प्रतिवादी की ओर से शमरज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 18/5/2017 राजेंद्र कुमार जोगल (नाम पीठासीन अधिकारी) RAS उपखण्ड अधिकारी, के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और जाती है कि -

दावावादी डिक्री किंग जाऊट वादी का नाम आरजी स.न. 161, 199, 350 कुल 3 कुल अकला उबीवा उपविला ग्राम उंचा गांव तहसील मासलपुर में वादी का नाम के स्थान पर शमरज पुत्र शिवचरण कुस्ली कुट कुट इन्द्राज कुस्ली के आदेश दिये गये हैं। प्रतिवादी इसी अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में शमरज अकालपुरी।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेगे।

ज तारीख 18/5/2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी

(राजेंद्र कुमार जोगल)

पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	